अनवानी राजकुमार बनाम स्टेट प्र.स. 258/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 25/04/24 पीठासीन अधि. (दिव्या) RAS	2
25/4/24	पत्रावली नियत पेशी पर पेश हुई। तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक LR/2023/4212 दिनांक 12/12/2023 को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी ने यह प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधि 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 9 आर. पी. खाता सं 130/109 तादादी 18.144 है. वादी द्वारा उक्त 18.144 है. में से 0.722 है सम्प्रतिफल जरिये रजि. डीड क्रय की। बाद क्रय वादी/प्रार्थी का नाम मुताबिक बैयनामा राजकुमार वल्द लालचंद दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया। परन्तु तहसील ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजकुमार से रामकुमार दर्ज हो गया जो काबिल दुरुस्ती है इसलिए मुताबिक अनुतोष वादी उक्त खाता मे रामकुमार की जगह राजकुमार करवाने का अधिकारी व हकदार है।	
	वाद दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर उपर्युक्त वर्णित मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें कि प्रार्थी/वादी का जमाबंदी (OFFLINE) में राजकुमार नाम अंकित है जमाबंदी (ONLINE) दौराने ऑनलाईकेशन राजकुमार से रामकुमार दर्ज हुआ जिसको दुरुस्त किया जाना उचित है और खाता अपवादित है। पत्रावली शामिल दस्तावेज यथा बैयनामा, जमाबंदी संवत 2075-78, आधार कार्ड में भी वादी का नाम राजकुमार वल्द लालचंद अंकित है, इसलिए प्रार्थना पत्र/वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि चक 9 आर.पी. खाता सं. 25/109 में दर्ज खातेदार रामकुमार पुत्र लालचंद की जगह राजकुमार पुत्र लालचंद किया जावे। शेष इन्द्राज पूर्ववत, व यथावत रखी जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ इसी अनुसार आदेश की पालना में अमलदरामद कर रिकॉर्ड राजस्व दुरुस्त करे। यदि कोई तकनीकि बाधा ना हो तो आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	
	(signature)	

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:12:54 IST
Reason: SelfAttested